1Re

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

सच्ची प्रतिलिपि

निबन्धन - पदाधिकारी

उ. श्र. का

१ लेख्यकारी - श्री सिमोन उरांव पिता का नाम स्वर्गीय खेदुवा उरांव जाति उरांव व्यवसाय खेती बारी निवास स्थान गोतरा टोली ठाकुर टोली परगना बीरु थाना सिमडेगा जिला गुमला शपथ पत्र संख्या ४२ दिनांक १६-४-१९९९ ई "विक्रेता"

२ लेख्यधारी - श्रीमती मिली टोप्पो पति का नाम जीवित श्री हेरमन टोप्पो जाति उरांव व्यवसाय नौकरी निवास स्थान गोतरा टोली डिपटी टोली परगना बीरु थाना सिमडेगा जिला गुमला शपथ पत्र संख्या ४६ दिनांक १६-४-१९९९ ई भारतीय "क्रेतीका"

3 लेख्य प्रकार - विक्रय पत्र केवाला बैना स्वामी पुत्र पुत्रादिक हद्दे बादिगरे सब दिन के लिए खाता टुकड़ा बिक्री होता है।

४ मूल्य - मो०लीग पचास हजार रुपये अंके मो० ५०,०००/- रुपये जिसका आधा मो०लीग पचीस हजार रुपये अंके मो० २५०००/= रुपये होता है।

५ सम्पत्ति - स्थराजियात अन्दर मौजा गोतरा का रकिबत खास रैयती मय दखली जमीन अन्दर खाता नम्बर २३६ का स्थ प्लाट वांड जमीन का टुकड़ा रकबा २५ डिसमील (पचीस डीसमील) सिर्फ जिसका पुरा विवरण नीचे दिया गया है।

१ - चूंकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने के लिए रुपये की निहायत जरूरी है और इस समय रुपया प्राप्त करने का अपनी जमीन बिक्री करने के सिवाय और कोई अन्य उपाय नही है। अतः मैंने उपर्युक्त लेख्यधारीणी श्रीमती मिली टोप्पो से मेरी उक्त जमीन केवाला खरीदने की प्रार्थना की

INDIA

एक रुपया   एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE   भारत   ONE RUPEE

और उन्होंने जमीन खरीदना स्वीकार किया। 1

2 तदोपरान्त मैंने अपनी इच्छा से मन और शरीर की स्वस्थता में ऊपर खाना संख्या पांच में वर्णित जमीन उपर्युक्त केतावाली श्रीमती मिल्ली टोप्पो के हाथ मोबलीग ५०,०००/= पचास हजार रुपये मूल्य वसूल पाकर बिक्री की और इस जमीन का अपना कुल हक हकुक तथा सारा अधिकार उक्त केताधारिणी को तथा उनके उत्तराधिकारी जो हैं और जो होंगे उन्हें हस्तान्तरित कर दिया, अब से इस जमीन पर मेरा कोई हक या अधिकार नहीं रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का।

3 मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस जमीन पर मेरा हक वो दखल कब्जा निर्विवाद है और चूकि हम उभय पक्ष आदिवासी वर्ग के हैं (अनुसूचित जन जाति के हैं) अतः श्रीमान अनुमण्डल पदाधिकारी महोदय सिमडेगा से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के दफा ४६ के अधीन जमीन बिक्री करने को आवश्यक अनुमति लेनी पड़ी जो मुकदमा संख्या रेम० ६(बी)/[illegible] खिमान उराँव बनाम श्रीमती मिली टोप्पो है और जिसमें दिनांक [illegible] ई० को अनुमति मिल गई है तथा आदेश संख्या ७० (ii) दिनांक [illegible] ई० को इस की प्रतिलिपि सब रजिस्ट्रार सिमडेगा को भेजी गई है। अतः इस जमीन पर किसी प्रकार का भार या झगड़ा झंझट या बाधा नहीं है।

4 अतः यह विक्रय पत्र केवाला बैनामा कलामी सब दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे।

जमीन का पूरा विवरण — वाके मौजा गोतरा परगना बीरु थाना सिमडेगा एवं रजिस्ट्री ऑफिस सिमडेगा सदर रजिस्ट्री ऑफिस एवं

INDIA

एक रुपया

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

जिला गुमला अन्दर थाना नम्बर २० खेवट नम्बर २ खाता नम्बर २३६
प्लाट नम्बर ५०९० (प्लाट नम्बर पाँच हजार नब्बे) नामे टैंगर टांड
टांड II रकबा ४ ए ८३ डी मध्ये मेसे रकबा २५ डीजानीब दक्षिण
चौहद्दी. उत्तर टांड भरतन उरांव दक्षिण टांड (बागान) सुनील लकड़ा, पूरब
घर बारी झलण कुजूर एवं पश्चिम में दान अंधरियल उरांव का है
कुल एक खाता का एक प्लाट टांड जमीन का रकबा २५ डीसमिल (पच्चीस
डिसमिल) सिर्फ जिसका लगान २ पैसे (दो पैसे) अलावे सेस प्रतिवर्ष
अब चाहिए कि लेखधारिणी मजकुर इस जमीन पर काबीज दखलकार
होकर जो रह कर प्रतिवर्ष खेती बारी कर फसल आबाद करें
या मकान कुवां बागान इत्यादि बनावें या जैसा चाहे अपने इच्छा-
-नुसार उपयोग करें और जमीन्दार बिहार सरकार के अंचल
कार्यालय सिमडेगा से अपने नाम दाखील खारीज करा कर ता.
लेखक से प्रतिवर्ष निश्चित लगान जमा कर रसिद रसीद लिया करें
लिपिकार - शिव कुमार दुबे टाइप सिमडेगा कचहरी ला.न. १/२३ विक्रय
पत्र का यह मजमून उभय पक्ष तथा साक्षियों के समक्ष लिख कर
पढ़ कर सुना दिया सुन कर वो पढ़ कर दस्तावेज मंजूर किए
आज दिनांक १६. ८. ७९ ई को मैं घोषणा करता हूं कि उक्त
विक्रीत जमीन एवं विक्री के बाद बचने वाली जमीन सिलिंग के
अन्तर्गत नही है। सही सिमोन उरांव ता. १६. ८. ७९ (सही सिमोन
उरांव साकिन गोतरा ठाकुर टोली हाल सिमडेगा कचहरी मो. ५०००) रु.
मुल्य पाकर २५ डी० जमीन विक्री किया सो ठीक है १६. ८. ७९ गो.
जीतु साहु वल्द जतरु साहु ग्राम सिजरी तैपुर थाना सिमडेगा जिला
गुमला तिथि १६. ८. ७९ सही सिमोन उरांव ता १६. ८. ७९ गो सही
नूवेल पुर्ती ग्राम खुटी टोली हाल सिमडेगा कचहरी ता १६. ८. ७९

1R९

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

सही सिमोन उरांव ता. १६-८-९१ सही सिमोन उरांव ता. १६-८-९१
सही सिमोन उरांव ता १६-८-९१ सही सिमोन उरांव ता १६-८-९१
नं. 52/27.2.91 श्री सिमोन उरांव वल्द स्व. लेदुवा उरांव सा. योतरा ठाकुर
टोली थाना सिमडेगा जिला गुमला को पत्रांक 52 दिनांक 27.2.91 के द्वारा
अन्यायिक मुद्रांक रु 3375/- (तीन हजार तीन सौ पचहत्तर) रुपये का
निर्गत किया गया रु 1000×3 = 3000.00 + 200.00×1 = 200.00
100.00×1 = 100.00 + 75.00×1 = 75.00 = 3375.00 रु.
अस्पष्ट 27.2.91 स्टाम्प सहायक उपकोषागार सिमडेगा नं. 52/27.2.91
के द्वारा अन्यायिक मुद्रांक निर्गत किया गया रु. अस्पष्ट 27.2.91
स्टाम्प सहायक उपकोषागार सिमडेगा नं. 52/27.2.91 के द्वारा अन्यायिक
मुद्रांक निर्गत किया गया रु. अस्पष्ट 27.2.91 स्टाम्प सहायक उप
कोषागार सिमडेगा नं. 52/27.2.91 के द्वारा अन्यायिक मुद्रांक निर्गत
किया गया रु. अस्पष्ट स्टाम्प सहायक उपकोषागार सिमडेगा नं 52/27.2.91
के द्वारा अन्यायिक मुद्रांक निर्गत किया गया रु. अस्पष्ट 27.2.91
स्टाम्प सहायक उपकोषागार सिमडेगा।
प्रतिलिपिक स्वच्छ वाचक
अरवौरी कन्हैया प्रसाद
ह. उ. पूर्व प्र०स

No 270/91

Stamp Rs 1000-00 + 1000-00 + 1000-00 + 200-00 + 100-00 + 75.00 = 3375.00

नयम २१ क आधीन एव आरानामकृ
कारतकारी अधिनियम 1908 की धारा
४६ (१) परन्तुक (२) के अधीन
... ...
(... ... ...) 1899 की अनुसूची
1 या 1 क मुताबिक ...... 23 ...... के
... स्टाम्प
सहित (... ... ...
का स्टाम्प शुल्क प्रमाणित नहीं।)

टकन्हैया 16.8.91 Sd/- Lal

निबंधन पदाधिकारी
17.9.91

1Rs

१६.८.७९ 6 से ... का पूर्वाह्न/अपराह्न
... सम्बन्ध में लेखकारी का
... के लिये
सिमोन उरांव
स्व. फेकुआ उरांव
गोरखा ठाकुर टोली थाना सिमडेगा
उरांव खेती
... के लिये ...
Sd/- Lal
17.4.91

सही सिमोन उरांव ता १६.८.७९

उपर्युक्त श्री सिमोन उरांव ने लेख्य का निष्पादन स्वीकार किया है जिनकी पहचान श्री जीतु साहु पिता का नाम श्री जतरु साहु सा॰ ग्रामीण पेशा खेती है ने की है।

T.I.No २१४/७-२-९१ सही सिमोन उरांव ता. १६.८.७९

T.I.No २१५/७-२-९१ सही जीतु साहु तिथि १६-८-७९

Sd/- Lal
17.4.91

प्रतिलिपिक स्वरूप नायक
अभिलेखी कन्हैया प्रसाद
३ ६ ७९
प्र॰सा॰

नि॰प॰

निरीक्षित
नि॰प॰